संख्या- 410 /2024/1243/2024/27-2002/195/2023-24-2

प्रेषक,

आलोक कुमार द्विवेदी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 **लखनऊ :: दिनांक 15 जुलाई, 2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में नाबार्ड पोषित मद के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर तहसील सेवराई के अन्तर्गत गंगा नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम बारा में बारा ड्रेन के मुहाने के अपस्ट्रीम में 400 मी0 लम्बाई में कटाव निरोधक कार्य परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियनता अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़), मण्डल, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ के पत्र संख्या-1123/काप्रअ/अनिबामं/यू-10/बी-1प्र0 दिनांक 02.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित विवरण की चालू परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-23-नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनाएं (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट व्यवस्था (चालू श्रेणी) में से रूपये 87,96,000.00 (रूपये सत्तासी लाख छियानबे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	स्था0 संचा0 सं0 /जी0एफ0सी0 सी0/भारत सरकार/नाबर्ड की स्वीकृति का संदर्भ	परियोजना की लागत	31.03.24 तक नेट आवंटन/ व्यय	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटन	कुल आवंटन	परि0 पर लागत के सापेक्ष अवशेष	स्वीकृत धनराशि	सम्बन्धित संगठन/ मण्डल/ खण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94-4711-01-103-23-24 नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनाएं (नाबार्ड पोषित)										
1	जनपद गाजीपुर तहसील सेवराई के अन्तर्गत गंगा नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम बारा में बारा ड्रेन के मुहाने के अपस्ट्रीम में 400 मी0 लम्बाई में कटाव निरोधक कार्य परियोजना। (Longitude:-25^{0}30'51"N, Latitude:-83^{0}50'58"E)	क्रमांक-62 54वीं बैठक दिनांक 30.11.2021	621.46	406.91	87.96	0.00	406.91	214.55	87.96	मु0अभि0 (सोन) वाराणसी/ सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी देवकली पम्प नहर प्रखण्ड-प्रथम, गाजीपुर

(रूपये सत्तासी लाख छियानबे हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों</u>

3- **उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-**

(1) तालिका में अंकित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की संख्या-71/2022/ 252(1)-सत्ताईस-सिं-2-2022-197बजट/2021-22, दिनांक 25.03.2022 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-23-नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनाएं (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 87,96,000.00 (रूपये सत्तासी लाख छियानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4711011032300 नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनायें (नाबार्ड पोषित) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
आलोक कुमार द्विवेदी
अनुसचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, शासन।
(7) उप-महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 11 विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
(8) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(9) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(10) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
(11) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(12) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(13) वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-8
(14) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
आलोक कुमार द्विवेदी
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।